

न्यायालय तहसीलदार पीसागन, जिला अजमेर (राज.)

मुकदमा संख्या 40 / 2019

अन्तर्गत धारा 90ए/91 भू राजस्व अधिनियम 1956

सरकार जरिये पटवारी

बनाम श्री पांचू गे इगारी गुजर
निवासी- रामनगर

हल्का पंगारा

-: आदेश :-

दिनांक 5/4/2019

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पंगारा ने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ग्राम रामनगर की आरजी खसरा नम्बर 552 रकबा 0.67 किस्म बांस की घरूह रिपोर्ट सिवायचक/चरागाह/नदी/नाला/रास्ता है पर संवत 2071 में अतिक्रमण कर रब्बी/खरीफ में फसल बांस बौ दी है। घास/बाड़ा/मकान या अन्य तरीके से अनाधिकृत कब्जा कर लिया है।

पटवारी रिपोर्ट पर आश्वस्त होकर विपक्षी के खिलाफ अन्तर्गत धारा 90ए/91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस की गई नोटिस तामिल स्वयं विपक्षी पर करके बालिग सदस्य पर चस्पांगी मे की गई। विपक्षी बावजूद तामिल गैर हाजीर हाजीर हुआ। इसके लिये प्रकरण मे एक तरफा कार्यवाही तजबीज की गई। विपक्षी ने उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार/अस्वीकार किया। बचाव पक्ष मे किसी तरह से शाहदत पेश नहीं की।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया। अतिक्रमण संदर्भित तिथि 31-12-66, 1-7-75 के पश्चात का होना प्रकट होता है।

अतः राज्यादेश दिनांक 31-4-71, 15-4-77 व 25-4-77 के प्रकाश मे नियमन काबिल नहीं होने से विपक्षी को विवादाग्रस्त आराजी से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

ताहवान स्वरूप वार्षिक लगान 1.00 दर का 50 गुणा कुल रूपये 50 अक्षरे रूपये पचास मात्र आरोपित किया जाता है। साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते है कि बहस आराजियात से खड़ी फसल एवं अनाधिकृत निर्माण आदि को विध्वंस कर जप्त सरकार करे व निलामी हेतु जुदागाना आदेश प्राप्त करे। पालनार्थ पटवारी एवं राजस्व लेखाकार को सूचित करे।

स पत्रावली का माग का राश 50/-
रा.ले.स. 4 वर्ष 2019-20 के पृष्ठ संख्या 4
पर इन्द्राज की गई।

राजस्व लेखाकार
तहसीलदार पीसागन

तहसीलदार पीसागन